

**कार्य का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में रांथी –जुम्मा–खेला–गर्गुवा–खेत
मोटर मार्ग एवं सेतु का नवनिर्माण। (घोषणा संख्या
121/2010) लम्बाई 30.00 किमी0+1सेतु**

प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य

वर्तमान में ग्राम रांथी, जुम्मा ओर स्यांकुरी की लगभग 9662 जनसंख्या को अपने दैनिक उपभोग की सामग्री प्राप्त करने के लिये 30.00 से 35.00 कि०मी० पैदल पहाड़ी विशम रास्तों से चलकर जाना पड़ता है क्योंकि उन गांवों को जोड़ने हेतु कोई मोटर मार्ग नहीं है। निकटस्थ मोटर मार्ग की दूरी 30 कि०मी० होने के कारण गांव में किसी के बिमार होने पर कठिन रास्तों से डोली या कंधे में मरीज को लाने तथा मोटर मार्ग से चिकित्सालय तक पहुंचने में अत्यन्त देरी होती है जिस कारण अनेक लोग हर रोज खतरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

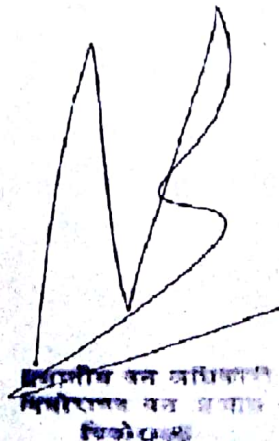
यह क्षेत्र मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण पिछड़ा हुआ है। ग्रामिणों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी एवं भेड़पालन है। अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचने में ग्रामीणों को पहाड़ के फिसलन भरे रास्तों से जाने आने में प्रतिदिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता

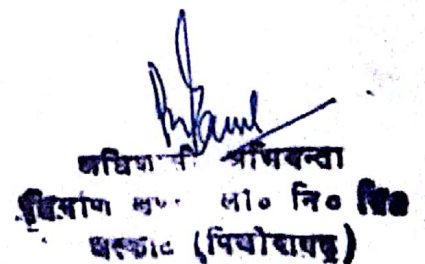
इस मार्ग में आ रही न्यूनतम वनभूमि 9.655 हे० के हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त प्रस्तावित संरेखन के अलावा अन्य कोई सरलतम मार्ग नहीं होने के कारण इस संरेखन के अलावा अन्य किसी संरेखन में इससे कम वनभूमि एवं कम वृक्ष नहीं आ रहे हैं। मोटर मार्ग का भूगर्भिय सर्वेक्षण कर लिया गया है एवं उनके द्वारा मोटर मार्ग बनाया जाना उचित माया गया है। इस मार्ग में कोई ऐतिहासिक भवन, राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र, धार्मिक भवन एवं कब्रिस्तान नहीं पड़ रहे हैं।

इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामिणों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि होने से पहाड़ों से लोगों के पलायन को रोका जा सकेगा एवं पर्वतीय उपयोगी उत्पाद प्राप्त होंगे।

उक्त परिपेक्ष्य में क्षेत्रिय जनता की सामाजिक आव यकता की पूर्ति हेतु इस मोटर मार्ग का बनाया जाना अति आव यक है। अतः कुल 9.655 हे० वनभूमि प्रत्यावर्तन के लिये यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।


J. E.


जनपदीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ जिले
पिथौरागढ़


अधिसूचना क्र. 121/2010
विभाग सं. 10 नि. वि.
अ. 10 (पिथौरागढ़)